

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/198 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक 24 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं उत्तराखण्ड सतर्कता अनुभाग- के शासनादेश सं०-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 माध्यमिक अनुभाग-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/ स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पाँच) में वर्णित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित "सहायक अध्यापक" का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरित सहायक अध्यापकों को इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विषय	वर्तमान तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की श्रेणी
1	श्रीमती अंजना रजवार	भाषा	रा०क०उ०प्रा०वि० ब्रह्मखाल, डुण्डा, उत्तरकाशी।	रा०क०उ०प्रा०वि० हीना, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (एक)
2	श्री यतेन्द्र प्रसाद	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० उडरी, डुण्डा, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० ठाण्डी, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (दो)
3	श्री प्रकाशवीर	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० धुनारा, मोरी, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० बलाड़ी, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (दो)
4	श्री पंकज कुमार	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० भंकोली, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० खमुण्डी, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
5	श्रीमती निर्मला नौटियाल	भाषा	रा०क०उ०प्रा०वि० कोटबागी, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०क०उ०प्रा०वि० धरासू, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
6	श्रीमती अनिता	भाषा	रा०उ०प्रा०वि० कोटगाँव, मोरी, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० भद्रासू, मोरी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
7	श्रीमती रेखा रानी	भाषा	रा०उ०प्रा०वि० सिल्ला, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० ओल्या डांग, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
8	श्री बचन लाल	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० डिंगाड़ी, पुरोला, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० जोगथ त०, चि०सौ० उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
9	श्री सोवेन्द्र सिंह	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० सर बडियार, पुरोला, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० ढकाड़ा, पुरोला, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
10	श्री अतोल सिंह	भाषा	रा०उ०प्रा०वि० माड़, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० बनगाँव, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
11	श्रीमती बसन्ती	भाषा	रा०उ०प्रा०वि० गुराड़ी, मोरी, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० नवागाँव, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
12	श्रीमती विजय देवी	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० बनास, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० कवागड्डी, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अधिनियम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
3. स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

5. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करते समय प्रतिस्थानी के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 400683/XXX(2)/2026/ई-26942 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के बिन्दु-2 (iii) के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।
6. स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(अमित कटियाल)
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
उत्तरकाशी।

पृ०सं०/बेसिक-04/4147-56 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट, उत्तरकाशी।
7. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक/अध्यापिका वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छात्र हित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका।
11. कार्यालय पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/199 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं उत्तराखण्ड सतर्कता अनुभाग- के शासनादेश सं०-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 माध्यमिक अनुभाग-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/ स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पाँच) में वर्णित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित "सहायक अध्यापकों" का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरित सहायक अध्यापकों को इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की श्रेणी
1	श्री देव कुमार जैन	स०अ०	रा०प्रा०वि० पिण्डकी, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० कुवां, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (एक)
2	श्री संदीप थपलियाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० जोगथ तल्ला, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० जुग्याड़ा, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	17 (ख) (एक)
3	श्री प्रवीन परमार	स०अ०	रा०प्रा०वि० बनोट, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० जुग्याड़ा, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	17 (ख) (एक)
4	श्री विरेन्द्र दास आर्य	स०अ०	रा०प्रा०वि० सट्टा, मोरी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० कण्डारी, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (दो)
5	श्री राजीव कुमार सेमवाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० संगलाई, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० बसूंगा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (तीन)
6	श्री देषराज सिंह रावत	स०अ०	रा०प्रा०वि० गडियारा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० दुखार, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
7	श्री जगमोहन	स०अ०	रा०प्रा०वि० भंकोली, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० उत्तरौं, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
8	श्रीमती राजेष्परी	स०अ०	रा०प्रा०वि० बार्सू, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० बिरलागली, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
9	श्री बलबीर सिंह पवार	स०अ०	रा०प्रा०वि० भैंत, डुण्डा, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० साड़ा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
10	श्री हरिमोहन रावत	स०अ०	रा०प्रा०वि० कण्डारी, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० सुनाल्डी, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
11	श्रीमती गीता चौहान	स०अ०	रा०आ०प्रा०वि० जखोल, मोरी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० श्रीकोट, पुरोला, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
12	श्री विजयपाल सिंह राणा	स०अ०	रा०प्रा०वि० उलण, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० दड़माली, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
13	श्री मनमोहन सिंह	स०अ०	रा०आ०प्रा०वि० ढकाड़ा, पुरोला, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० जामक, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
14	श्री राजपाल सिंह भण्डारी	स०अ०	रा०प्रा०वि० पीपलखण्डा, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० दिलसौड़, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
15	श्री विनोद सिंह	स०अ०	रा०प्रा०वि० जेष्टवाड़ी, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० रवाड़ा, भटवाड़ी, उ०का०।	17 (ख) (चार)
16	श्रीमती निर्मला	स०अ०	रा०प्रा०वि० नागपानी, फिताड़ी, मोरी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० कुरड़ा, पुरोला, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
17	नीतू सजवाण	स०अ०	रा०प्रा०वि० डाण्डागांव, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० स्वील, पुरोला, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)

18	श्रीमती हेमलता रावत	रा0आ0	रा0प्रा0वि0 जिनेथ, डुण्डा, उत्तरकाशी।	रा0प्रा0वि0 दिवली, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
19	श्रीमती रोजी परगार	रा0आ0	रा0प्रा0वि0 भड़कोट, डुण्डा, उत्तरकाशी।	रा0प्रा0वि0 लोदाड़ा, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
20	श्रीमती सरिता कोठियाल	रा0आ0	रा0प्रा0वि0 कवाटा, चि0सौ0, उत्तरकाशी।	रा0प्रा0वि0 खदाड़ा, चि0सौ0, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अधिनियम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
3. स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करते समय प्रतिस्थानी के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 400683/XXX(2)/2026/ई-26942 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के बिन्दु-2 (iii) के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।
6. स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।



(अमित कोठियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0,
उत्तरकाशी।

पृ0सं0/बेसिक-04/ 4157-66 /अनुरोध स्था0/2026-27 दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट, उत्तरकाशी।
7. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक/अध्यापिका वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छात्र हित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका।
11. कार्यालय पत्रावली।



जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/ 200 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक 24 अगस्त, 2026

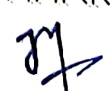
कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं उत्तराखण्ड सतर्कता अनुभाग- के शासनादेश सं०-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 माध्यमिक अनुभाग-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/ स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पाँच) में वर्णित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित "प्रधानाध्यापकों" का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरित सहायक अध्यापकों को इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की श्रेणी
1	श्री दिनेश चन्द्र नौटियाल	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कुमराड़ा, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० अनोल, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	17 (ख) (एक)
2	श्रीमती सतेश्वरी रावत	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० लमकोटी, पुरोला, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० खाबली, पुरोला, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
3	श्रीमती पुष्पा	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० नागझाला, पुरोला, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० पुरोला, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
4	श्रीमती राजेन्द्री शाह	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० मथाली, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० स्यूणा, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
5	श्रीमती संग्रामी कुरैशी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० शक्तिपुरम, चि०सौ०, उत्तरकाशी।	रा०प्रा०वि० बौन, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अधिनियम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
3. स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करते समय प्रतिस्थानी के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 400683/XXX(2)/2026/ई-26942 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के बिन्दु-2 (iii) के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।
6. स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
उत्तरकाशी

पृ०सं०/बेसिक-04/ 4167-76 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।

3. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट, उत्तरकाशी
7. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी
8. कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक/अध्यापिका वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छात्र हित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
11. कार्यालय पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
उत्तरकाशी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी।

आदेश सं०/बेसिक-04/ 201 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) व (2) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं उत्तराखण्ड सतर्कता अनुभाग- के शासनादेश सं०-410893/XXIV-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1 माध्यमिक अनुभाग-1 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवा-2/1519-20/ स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) (ख) के अन्तर्गत (एक) से (पाँच) में वर्णित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत निम्नांकित "प्रधानाध्यापकों" का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालयों में समान पद एवं वेतनक्रम में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरित सहायक अध्यापकों को इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	विषय	वर्तमान तैनाती विद्यालय	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	अनुरोध की श्रेणी
1	श्री ओमप्रकाश डोभाल	भाषा	रा०उ०प्रा०वि० रिखाऊ, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० छतरीभानी, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (एक)
2	श्री सुन्दर नारायण मिश्रा	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० सालंग, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	रा०उ०मा०वि० किशनपुर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।	17 (ख) (चार)
3	श्री काथक सिंह चौहान	सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० जान्दणू, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० गोना, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
4	श्रीमती उज्ज्वला भण्डारी	भाषा	रा०उ०प्रा०वि० पालिया, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० बलाड़ी, नौगांव, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
5	श्री दुर्गलाल खनेड़ी	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० बजलाड़ी, नौगांव, उत्तरकाशी।	रा०उ०प्रा०वि० पनोथ, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)
6	श्री डबल सिंह राणा	विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० डांग ओल्या, डुण्डा, उ०का०	रा०उ०प्रा०वि० मट्टी, डुण्डा, उत्तरकाशी।	17 (ख) (पाँच)

1. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अधिनियम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
3. स्थानान्तरित किये गये अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. अवमुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रावधि (Joining Time) का ही उपभोग कर सकेंगे।
5. सम्बन्धित विकासखण्ड के उप शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करते समय प्रतिस्थानी के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 400683/XXX(2)/2026/ई-26942 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के बिन्दु-2 (iii) के क्रम में कार्यवाही की जायेगी।
6. स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(अमित कोटियाल)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
उत्तरकाशी।

पृ०सं०/बेसिक-04/ 4177-86 /अनुरोध स्था०/2026-27 दिनांक यथोपरि।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट, उत्तरकाशी।
7. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
8. कोषाधिकारी, सम्बन्धित कोषागार।
9. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी जनपद उत्तरकाशी को इस आशय के साथ प्रेषित कि एकल अध्यापक/अध्यापिका वाले विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को छात्र हित के दृष्टिगत उनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
10. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
11. कार्यालय पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०,
उत्तरकाशी।